

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7-6-22	<p>पत्रावली नं. 100/2022, कार्यवाही नं. 100/2022, दिनांक 7-6-22 को प्रेषित किया गया।</p> <p>दिनांक 12-2-22 को प्रेषित हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p>
	23-6-22	<p>पत्रावली नं. 100/2022 के वकील के माध्यम से पत्र पर तलब की गई, वकील न्यायिक ने निवेदन किया है कि पत्रावली के माध्यम से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया अतः पत्र व प्र.पत्र नही चलाना चाहते हैं (Not-press) करते हैं अतः पत्र Not-press में स्वर्णिज किया जा चुका है अतः प्र.पत्र प्र.पत्र ही स्वर्णिज हो जाता है अतः प्र.पत्र स्वर्णिज किया जाता है पत्रावली के अंतर्गत प्रेषित होने नभक्त वे डक होने का कानून दफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी</p> <p>उपख-3, चाकसू (जयपुर)</p> 